

राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे।। 4011

दिनांक :- 25.6.2024

आदेश संख्या : 19/2024-25

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.5(4-75)डीटीए/IFMS/794-1818 दिनांक 10/06/2024 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में कोष एवं लेखा विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	कोषाधिकारी अजमेर (1091)	2	6	17	2	6	16
2	कोषाधिकारी अलवर (1092)	2	6	17	2	6	16
3	कोषाधिकारी कोटा (1118)	2	6	17	2	6	16
4	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जयपुर (1109)	3	5	18	2	5	18
5	निदेशक जयपुर (1090)	7	17	17	10	21	22
6	कोषाधिकारी जालौर (1113)	1	4	11	1	4	10
7	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर (1116)	2	6	17	2	5	17
8	कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर (1117)	1	6	16	1	6	15
9	कोषाधिकारी दौसा (1103)	1	4	11	1	4	10
10	कोषाधिकारी बाड़मेर (1095)	1	4	11	1	4	10
11	कोषाधिकारी बारं (1094)	1	4	11	1	3	11
12	कोषाधिकारी बीकानेर (1099)	2	6	17	1	6	16
13	कोषाधिकारी भरतपुर (1097)	2	6	17	2	6	16
14	कोषाधिकारी भीलवाड़ा (1098)	1	4	11	1	3	10
15	कोषाधिकारी श्रीगंगानगर (1106)	2	6	17	1	6	17
16	कोषाधिकारी सवाई माधोपुर (1124)	1	4	11	1	4	10
योग		31	94	236	31	95	230

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2581	3824	5730	12135
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2581	3825	5724	12130



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे I / 4011

दिनांक :- 25.6.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)